

प्रेषक,
रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।
सेवा में,
राहत आयुक्त,
उ०प्र०, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 25 मई, 2020

विषय:- उ०प्र० के अन्य राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेशों में अवरुद्ध / फंसे व्यक्तियों की वापसी हेतु स्पेशल ट्रेनों पर होने वाले व्यय के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-1045/2020-सीएक्स-3, दिनांक 20.05.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 के दृष्टिगत लाकडाऊन अवधि में उ०प्र० तथा अन्य राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेशों के अवरुद्ध / फंसे श्रमिकों/कामगारों को उनके गन्तव्य स्थान तक पहुंचाने के लिये ट्रेन संचालन हेतु रू० 50,00,00,000/-(रुपये पचास करोड़ मात्र) की धनराशि, उत्तर रेलवे को भुगतान हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 में राहत आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।
- (2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2021 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2021 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत उक्त धनराशि के व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप पर राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।
- (6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 250 (1) / एक-10-2020-33(05) / 2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
5. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. मण्डल रेल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, लखनऊ।
7. प्रवीण कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र, दिल्ली शासन, नई दिल्ली।
8. श्री नरेन्द्र भूषण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोयडा/स्टेट नोडल अधिकारी, कोविड-19, दिल्ली।
9. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
10. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
11. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)

सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-25/05/2020

प्रेषण संख्या:- 31
आवंटन आदेश संख्या:- 031-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं०, लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	500000000 1337696422	500000000 1337696422
	योग	वर्तमान प्रगामी	500000000 1337696422	500000000 1337696422

महायोग- (वर्तमान
आवंटन):- रूपया पचास करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक अरब तैंतीस करोड़ छिहत्तर लाख छियानवे हजार चार सौ बाइस

(संमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त
उ०प्र० शासन